जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 70/2017 अनवानी दीनदयाल पुत्र रामचन्द जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर बनाम 1–रामचन्द पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार निवासी हरखेवाला तहसील पदमपुर 2–भीमसेन पुत्र रामचन्द्र 3–कौशल्यादेवी पुत्री रामचन्द 5–सुमित्रादेवी पुत्री रामचन्द 6–एसबीबीजे शाखा रिडमलसर 7–एसबीबीजे शाखा पदमपुर 8–तहसीलदार, पदमपुर

A3/1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.09.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी का कथन है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में एक वाद इस आश्य का पेश किया गया है कि प्रार्थी के दादा जेठाराम के नाम चक 46एलएनपी के खाता सं0 19 मु0न0 30 23.10 बीघा में से 1/3 हिस्सा व खाता सं0 20 के मु0न0 2,9,14,80 के 51.10 बीघा में से 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा कुल 16.08 बीघा दर्ज थी प्रार्थी के दादा के देहांत के बाद अप्रार्थी सं0 1 को विरासतन में प्राप्त हुई जिसका ईन्तकाल सं0 15 दिनांक 12.04.54 दर्ज हुआ। इस प्रकार उपरोक्त भूमि जददी जायदाद होने से प्रार्थी का जन्म से इसमें हिस्सा है। इसके अलावा चक 45 एलएनपी में खाता संख्या 63/52 की 1.466 हे0 तथा गांव फकीरवाली बरानी के खाता सं0 43/42 की 6.325 है0 क्रय की गई। इस प्रकार तीनो चको की कुल 47.04 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चली आ रही है जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा बनता है जिसका वाद प्रस्तुत किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी का रवैया पक्षपातपूर्ण होने से उनके द्वारा दिनांक 28.07.17 को प्रार्थी का धारा 212 आरटीए का प्रा0 पत्र खारिज करते समय स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपका दावा भी खारिज करने योग्य है। उनका आगे कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.17 का धारा 212 आरटीए का प्रा0 पत्र चक 45 एलएनपी व फकीरवाली की हद तक खारिज करते समय ही राय जाहिर कर दी कि इन चको में प्रार्थी का कोई हिस्सा नही बनता है जबकि दावा साक्ष्य तलब होने से तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर ही निर्णय किया जाना है जबकि दावा के निर्णय से पूर्व ही पीठासीन अधिकारी ने अपनी राय जाहिर कर दी है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी का रवेया स्पष्टतौर पर पक्षपात पूर्ण है। ऐसी स्थिति में उन्हें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 अप्रार्थी सं0 2 के प्रभाव में है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण कर अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद संख्या 11/2016 अनवानी दीनदयाल बनाम रामचन्द आदि धारा 88,188,92ए आरटीए को किसी अन्यत्र सक्षम न्यायाललय में मुन्तकिल किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने प्रार्थी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में एक दावा सं0 11/2016 अनवानी दीनदयाल बनाम रामचन्द्र आदि धारा 88,188,92ए आरटीए का पेश किया हुआ है और इसके साथ ही एक विविध प्रा0 पत्र सं0 10/2016 दीनदयाल बनाम रामचन्द्र धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा 212 आरटीए के प्रा0 पत्र का पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.17 को निर्णय किया जा चुका है। वर्तमान उक्त वाद सं0 11/2016 ही लंबित है जिसे अन्यत्र मुन्तकिल करवाने के लिए यह प्रा0 पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद सं0 11/2016 की प्रस्तुत ऑर्डरशीट के अवलोकन से पाया गया कि उक्त वाद दिनांक 09.02.16 से लंबित है और वर्तमान में दिनांक 21.08.17 जबाब के लिए नियत थी जिससे स्पष्ट होता है कि अभी उक्त वाद बहस की स्टेज पर नही है और मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार भी नही बताया गया है, दूसरा जहां तक पीठासीन अधिकारी के द्वारा अन्य सम्पति के संबंध में अपनी राय जाहिर करने का प्रश्न है इस संबंध में प्रार्थी के पास पीठासीन अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2017 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1770
29.9.17

यह आदेश आज दिनांक 18.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर